

SUMMARY TRIAL, UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad, DIST- Bhind (M.P)

Case No. 143/2017 श.को.

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....

अजय वाल्मीकि डा. राम प्रकाश
वालमीकि मि. ग्राम इकहारा थाना मल्लपुर (मि.को.)

Name, parentage, caste and address of accused

हेमन्त कुमार पुत्र वृजेश श्रीवास्तव निवासी गुरोली माता
मन्दिर के पास महमशाव थाना मुनीपसदी गवाकियर
म.प्र.

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 22/04/17 को समय लगभग 13:30 बजे, स्थान
अंतर्गत थाना मल्लपुर में वाहन मोटर साइकिल को
शमशकदारमिड मल्लपुर को उरोडा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे आहत
MP07KJ2305 को साधारण उपहति कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो
अजय, ए. व. समीर कि भा0द0वि0 की धारा 279, 280-स के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय
के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।

हेमन्त कुमार

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the
value of the property in respect of which the offence has been committed.

निर्णय / /
(आज दिनांक 17/08/19 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मा0द0वि0 की धारा 219, भा.द.स. के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी हेमन्त कुमार को भा.द.वि. की धारा 71 एवं दफ़्त की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रुपये 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन मोटर साइकिल को MP07KH 2305 के उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। सुर्दगी की दशा में सुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का प्रालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K. Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)